CHRI
Commonwealth Human Rights Initiative
राष्ट्रमंडल देशों में मानवाधिकारों की व्यवहारिक प्राप्ति के लिए काम करते हुए

लॉकडाउन लागू करते समय मानवाधिकारों का सम्मान:

पुलिस के लिए दिशा निर्देश

मार्च 2020

लॉकडाउन लागू करते समय मानवाधिकारों का सम्मान करना

पुलिस के लिए दिशा निर्देश

"कोविड 19 समाजों, सरकारों, समुदायों और व्यक्तियों की परीक्षा है। वायरस से निपटने के लिए एकजुटता और सहयोग, और अक्सर बिना अभिप्राय कोविड 19 के प्रसार को रोकने के लिए तैयार की गई डिज़ाइन के प्रभावों को शान्त करने का समय है। आर्थिक और सामाजिक अधिकारों और नागरिक व राजनीतिक अधिकारों समेत सभी क्षेत्रों में मानवाधिकारों का सम्मान सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुक्रिया की सफलता का आधार होगा"[1]।

उद्देश्य

ये दिशा निर्देश संवैधानिक दायरे में वर्तमान राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के संवेदनशील कार्य को लागू करने के लिए सम्पूर्ण भारत में पुलिस विभागों की सहायता करने हेतु व्यवहारिक उपायों का प्रस्ताव करता है। यह आवश्यक बनाता है कि पुलिस अपने अधिकारों का मानवीय, पारदर्शी, ज़िम्मेदाराना और बिना पक्षपात के, सेवा भाव से, समाज के मानवाधिकारों का सदैव सम्मान करते हुए प्रयोग करे।

राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन

कोविड 19 या कोराना वायरस के तेज़ी से फैलने के कारण उभरी विश्वव्यापी महामारी के मद्देनज़र भारत के प्रधान मंत्री ने 25 मार्च 2020 से 21 दिवसीय राष्टव्यापी लॉकडाउन की घोषणा कर दी। इसने अनुमानित 130 करोड़ भारतीयों को घर के अंदर तक सीमित रहने और प्रतिदिन के जीवन में बड़े एहतियाती उपाय करने के लिए आदेशित करने को विवश कर दिया है। इसने आंदोलन, सभा, रोज़गार और शिक्षा के मौलिक अधिकारों में कटौती को मजबूर कर दिया है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा पूर्व निर्दिष्ट अति आवश्यक सेवाओं के संचालन की अनुमति है। जबकि लॉकडाउन समाज के सभी वर्गों के लिए व्यापक व्यवधान, भय और चिंता का कारण बना है, यह गरीब और कमज़ोर वर्ग को असंगत रूप से शक्तिहीन बनाता है। बिना मज़दूरी के लाखों लोगों के लिए भुखमरी और आवासहीनता कटु वास्तविकताएं हैं। पुलिस भी काफी दबाव में है और भारी संरचनात्मक और संसाधन की बाधाओं और चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्हें अपने स्वास्थ्य और अपने प्रियजनों की चिंताओं के तनाव में भी जनता की सेवा के लिए तत्पर रहना पड़ता है।

दुर्भाग्य से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के आरंभिक दिन बड़े स्तर पर पीड़ाओं के साक्षी रहे हैं जिसे राज्य के अधिकारियों द्वारा असंवेदनशील और अक्सर क्रूर प्रतिक्रियाओं द्वारा और भीषण बना दिया गया। पुलिस की बर्बरता – लगभग देश के सभी

---

[1] कोविड 19 और इसके मानवाधिकारों के आयामः https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/COVID-19.aspx अंतिम बार ऐक्सेस 26 मार्च 2020

राज्यों से बड़े स्तर पर आने वाले वीडियो ने राज्य की प्रतिक्रिया[2] को अमानवीय बना दिया। केरल उच्च न्यायालय स्वतः ज्ञान लेते हुए और न्यायिक हस्तक्षेप का निर्णय लेते हुए लॉकडाउन अवधि[3] के दौरान राज्य की सभी गतिविधियों की निगरानी करेगा:

"हमें प्रिंट और सोशल मीडिया में ऐसी बहुत सामग्री मिली हैं जो हमें विश्वास दिलाती हैं कि स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ साथ पुलिस कर्मियों द्वारा अनुकरणीय कार्य किए जा रहे हैं, पिछले सप्ताह प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया प्रकाशित कुछ अन्य सामग्रियों को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते जो पुलिस कर्मियों द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन के दौरान की गई ज़्यादतियों की तरफ इशारा करती हैं। अपने मानवाधिकारों के अतिक्रमण को लेकर नागरिकों में भय को भी कम करना है। इसलिए हमारा मत है कि केंद्रीय या राज्य प्राधिकरणों द्वारा इस राज्य में लॉकडाउन का कार्यान्वयन न्यायपालिका की सतर्क निगाहों के तहत होना चाहिए, इस उद्देश्य के लिए, इस लॉकडाउन अवधि में राज्य की कार्यवाही की निगरानी के लिए हम स्वतः संज्ञान की कार्यवाही शुरू करने को उचित समझते हैं[4]"।

सामूहिक कठिनाई के इस समय में जनता व्यापक स्तर पर पुलिस से व्यवसायिकता, सुरक्षा, सहयोग और मार्गदर्शन की आशा कर रही है। यह सुनिश्चित करने में कि सभी समुदाय न्यूनतम दिक्कतों के साथ लॉकडाउन का पालन करते हैं, पुलिस की खास भूमिका है, और सार्वजनिक विश्वास और सहयोग का एक सुरक्षित आधार बनाने की आवश्यकता है। क्रमानुसार आवश्यक वस्तु प्रदाताओं के काम पर जाने और आपूर्ति श्रंखलाओं को गतिमान रखने के लिए ज़मीनी स्तर पर पुलिस महत्वपूर्ण सम्पर्क बिंदु है। वायरस के प्रसार को रोकने की सभी सावधानियों को सुनिश्चित करते हुए, पुलिस की सभी कार्यवाहियों के सुशीलता, सहानुभूति और अधिकारों व मानव गरिमा के सम्मान का ध्यान रखते हुए जन सेवा की भावना से किए जाने की ज़रूरत है। केवल यही चीज़ भय को शान्त कर सकती है, भ्रम को दूर कर सकती है, विश्वास और एकजुटता कायम कर सकती है। इन मूलभूत सिद्धांतों का सम्मान इस अभूतपूर्व लॉकडाउन और सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट दोनों से सफलता के साथ पार पाने को सुनिश्चत करेगा।

---

[2]देश में लॉकडाउन लगते ही आज्ञिप्ति सामानों की आपूर्तिकर्ताओं को पुलिस द्वारा निर्दयता से पीटा गया https://www.indiatimes.com/news/india/delivery-guys-carrying-orders-beaten-up-mercilessly-by-police-as-country-enters-lockdown-509233.html?fbclid=IwAR1OgeshOLRR_AHK1Jj8wTbUS0IaQx0hOPzhaSc_l9g8wYnv8-x4muEZzxU, ऐक्सेस 26 मार्च 2020, "15,000 लीटर दूध और 10,000 किलो सब्जी उलट दी गई"।ई–टेलर ने पुलिस पर हमला करने का आरोप लगाया।https://www.ndtv.com/india-news/coronavirus-india-lockdown-e-tailers-complain-police-beating-up-delivery-agents-2200587, ऐक्सेस 26 मार्च 2020, विचित्र औ रनया तरीका जिससे पुलिस सुनिश्चित करती है कि भारतीय लॉकडाउन का पालन करते हैं।https://theprint.in/india/quirky-and-innovative-ways-in-which-police-made-sure-indians-follow-lockdown-rules/388085/, ऐक्सेस 26 मार्च 2020

[3]आशा की जाती है कि लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय निगरानी का यह महत्वपूर्ण कार्य करेंगे।

[4]केरल हाईकोर्ट में स्वतः संज्ञान याचिका (2020 की संख्या रहित) दिनांक 30 मार्च 2020: http://highcourtofkerala.nic.in/lat_orders/suomotu_un_wpc_of%202020dtd30032020.pdf

दिशानिर्देश

सीएचआरआई सभी राज्य पुलिस विभागों को मार्गदर्शन के रूप में निम्नलिखित उपायों की संस्तुति करता है।

लॉकडाउन प्रबंधन योजना[5]

ज़रूरत है कि सभी राज्यों में पुलिस नेतृत्व जल्द से जल्द एक समग्र लॉकडाउन प्रबंधन योजना विकसित करे। योजना को व्यवस्था के दृष्टिकोण से तैयार किया जाना चाहिए। इसे इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए कि बिना ज़ोर ज़बरदस्ती लॉकडाउन को लागू करने और परिचालन समबंधी निर्णय लेने व कार्यवाही के तीव्र, तर्कसंगत, उचित और सुलभ बनाने में अपनी भूमिका को समझने के लिए पुलिस अधिकारियों को समर्थ बनाए। यह प्रतिक्रिया सम्बंधी सभी पहलुओं पर व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है जिसमें जन प्रबंधन, आवश्यक सेवाओं की सुविधा, शक्ति का न्यूनतम प्रयोग, गिरफ्तारियों में कमी, कमज़ोर समूहों तक पहुंचने के उपाय, वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सुरक्षात्मक उपाय शामिल हैं; इसके साथ साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कि ज़मीन पर पुलिस सुशिक्षित और उत्तरदायी है हर स्तर पर आंतरिक रिपोर्टिंग, निगरानी, जवाबदेही और संचार आवश्यकताओं का प्रबंधन शामिल है। लक्षित परिणाम के लिए राज्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए आवश्यकतानुसार अलग से योजना विकसित कर सकते हैं।

इसे स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के तौर पर लिखा जा सकता है – क्षेत्र में लागू करने के लिए निश्चित व्यवहारिक कदमों के साथ संक्षिप्त, स्पष्ट और सुसंगठित। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह सभी कर्मियों तक पहुंच जाए खासकर क्षेत्र स्तर पर, योजना को आसानी से संदर्भित परीक्षण सूची और/या नोटबुक के रूप में प्रकाशित किया जा सकता है जिसे पेपर प्रतियों और/ या आसान पहुंच के लिए मोबाइल फोन और कमप्युटरों पर डिजिटल रूप में राज्य की भाषा में और जहां भी संभव हो हिंदी और अंग्रेज़ी में सम्पर्क भाषा के तौर पर प्रसारित किया जा सकता है। विभागों के परिचालन सम्बंधी मार्गदर्शन के रूप में इसे राज्य/ जिला पुलिस वेबसाइटों पर अपलोड किया जाना चाहिए, विभिन्न पुलिस इकाइयों, खासकर पुलिस स्टेशनों, में प्रदर्शित किया जाना चाहिए और गतिशील गश्ती इकाइयों के पास उपलब्ध होना चाहिए। योजना को जनता के लिए सुलभ बनाने के उपाय से जनजागरण को बढ़ावा मिल सकता है और पुलिस को जनता का सहयोग प्राप्त करने में सहायक हो सकता है।

भौतिक दूरी और लोगों के जमाव पर प्रतिबंधों के पालन करने की आवश्यकता के साथ साथ वर्तमान संकट को तत्काल संभालने में पुलिस का पूरा समय चला जाता है, यह मान्य है कि योजना पर इस समय विशेष प्रशिक्षण देना मुश्किल होगा।

---

[5]सीएचआरआई भारतीय पुलिस फाउंडेशन द्वारा सभी राज्यों के पुलिस महानिदेश कों (DGs), महानगरों के पुलिस आयुक्तों और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के महानिदेशकों को प्रसारित किए गए विवरण पत्र का संज्ञान लेता है जिसमें 'महामारी तैयारी योजना' बनाने का सुझाव दिया गया है। इन दिशा निर्देशों का मसौदा तैयार करना पुलिस विभाग को वर्तमान चुनौतियों के लिए आवश्यक प्रतिक्रियाओं को आकार देने में सहायता और सहयोग देने के कई विभिन्न प्रयासों को अपना समर्थन देने की हमारी कोशिश है।

विकल्प के रूप में, निरीक्षक अधिकारी खासकर जिला पुलिस प्रमुख थाना प्रभारी और इकाइयों के प्रमुख अपने स्तर पर योजना और इसके प्रावधानों पर अपने कर्मियों को उन्मुख करने के लिए लक्षित सत्र आयोजित कर सकते हैं।

हालांकि, स्थानीय संदर्भों में समग्र रूप से योजना को विकसित करने के लिए पुलिस नेतृत्व सबसे बेहतर स्थिति में है, सीएचआरआई का आग्रह है कि निम्नलिखित क्षेत्रों को प्रत्येक योजना में व्यवहार्य उपायों के माध्यम से शामिल किया जाए जैसा कि निम्न में विस्तार से बताया गया है।

उपायों का सारांश

कोविड 19 के खिलाफ सुरक्षात्मक उपाय

अन्य आवश्यक सेवा प्रदाताओं की तरह पुलिस कर्मियों को भी उनके काम की प्रकृति के कारण वायरस के चपेट में आने और इस प्रकार उस का प्रसार करने का जोखिम बहुत अधिक होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि सभी पुलिस कर्मी खास कर पुलिस थानों में और बाहर सड़कों पर वे हर समय सख्ती से सुरक्षात्मक उपाय अपनाएं। लॉकअप की निगरानी करने वाले पुलिस अधिकारियों को हिरासत में मौजूद सभी व्यक्तियों के लिए सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित करना चाहिए।

न्यूनतम बल प्रयोग पर सुझाव

लोगों के प्रतिदिन के जीवन पर अभूतपूर्व प्रतिबंधों के बीच लॉकडाउन को लागू करने के लिए पुलिस द्वारा बल प्रयोग पर अवश्य ही रोक लगाई जानी चाहिए। अहिंसक उपाय ढूंढे और कार्यान्वित किए जाने चाहिए।

आवश्यक सेवा प्रदाताओं की पहुंच को आसान बनाना और सेवा प्रदाताओं के साथ पूर्ण सहयोग

पुलिस जनता और सेवा प्रदाताओं के बीच महत्वपूर्ण सम्पर्क बिंदु है। यह न केवल आवश्यक सेवाओं के सुचारू संचालन और वितरण को सुनिश्चित करता है बल्कि जीवन भी बचाता है। पुलिस की भूमिका का यह अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है और इसको अवश्य ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

रोकना, सत्यापित करना और सहायता करना पर विशेष प्रोटोकॉल

सवाल पूछने और संभावित जवाब को संदर्भित करने के लिए सरल, व्यवहारिक और आसानी से लागू होने योग्य प्रोटोकॉल से सड़कों पर जनता को नियंत्रित करने और सहयोग करने में पुलिस का काम आसान हो जाएगा।

कम गिरफ्तारी और हिरासत पर सुझाव

अनावश्यक हिरासत को रोकने के लिए आग्रह किया जाता है कि लॉकडाउन के कथित उल्लंधन के लिए कोई गिरफ्तारी या हिरासत न हो। समीक्षात्मक आवश्यकता के अनुरूप लोगों को आश्वस्त करने की ज़रूरत है कि जनता और पुलिस कर्मी के हिरासत में बहुत करीब होने से वायरस की चपेट में आने का खतरा नहीं उठाना है, जहां तक संभव हो पुलिस को सभी गिरफ्तारियां और हिरासत रोक देना चाहिए।

पुलिस के दुर्व्यवहार के लिए जवाबदेही

जो पुलिस कर्मी स्थापित प्रक्रियाओं और लॉकडाउन को नियंत्रित करने वाले सिद्धान्तों से इतर जाता, दुरूप्रयोग करता और/या उल्लंघन करता हुआ पाया गया, विशेष रूप से गिरफ्तारी और हिरासत के मामले में बल प्रयोग पर, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।

कमज़ोर समूहों की सुरक्षा के विशेष उपाय

कुछ कमज़ोर समूहों को सहायता और सेवाओं तक पहुंच बना पाने में बहुत दिक्कतों का सामना होता है जो निश्चित ही लॉकडाउन के दौरान बढ़ जाएगी। ऐसे लोगों और समूहों की पहचान करना महत्वपूर्ण है जो आवागमन व परस्पर

सम्पर्क पर रोक के कारण नुकसान में आने और/या और अधिक हाशिए पर ढकेल दिए जाने से जोखिम में पड़ सकते हैं।

पक्षपात रहित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना

पुलिस को अपनी प्रतिक्रिया में निष्पक्ष होना चाहिए और भेदभाव की घटनाओं की निगरानी और उनको खत्म करने के प्रति सतर्क रहना चाहिए।

नियमित और स्पष्ट सूचना: दोनों आंतरिक रूप से सभी स्तरों पर और जनता के साथ

लॉकडाउन की सम्पूर्ण अवधि के दौरान पुलिस के अंदर सभी पदों पर और जनता के साथ लॉकडाउन प्रबंधन योजना, विकास, किए जाने वाले उपायों और पुलिस नेतृत्व द्वारा दिए गए आश्वासनों के मामले में सुसंगत और ठोस जानकारी होनी चाहिए।

I. कोविड –19 के खिलाफ सुरक्षात्मक उपाय

अन्य आवश्यक सेवा प्रदाताओं की तरह पुलिस कर्मियों के काम की प्रकृति और स्थान को वायरस के सम्पर्क और इस प्रकार इसके प्रसार के लिए सबसे अधिक जोखिम भरा बनाता है। यह महत्वपूर्ण है कि सभी पुलिस वाले, खासकर वे जो पुलिस थानों में या सड़क पर हैं, सख्ती के साथ सुरक्षात्मक उपायों को हर समय अपनाएं। लॉकअप की निगरानी करने वाले पुलिस अफसरों को चाहिए कि हिरासत में मौजूद सभी व्यक्तियों के लिए सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित करें।

1. सुनिश्चित किया जाए कि क्षेत्र में सभी पुलिस कर्मियों को, पर्याप्त सुरक्षा उपकरण जिसमें मास्क और दस्ताने और हैंड सेनेटाइज़र शामिल हैं, उपलब्ध हो
2. सभी पुलिस कर्मियों को हर समय एक दूसरे से 3 से 6 फीट[6] भौतिक दूरी बनाए रखने के लिए निर्देशित किया जाए चाहे वे कार्यालय में हों, पुलिस स्टेशन में या सड़कों पर:
   a. सुनिश्चित किया जाए कि भौतिक दूरी की आवश्यकता का बैठकों और विवरण देते समय पालन किया जाए
   b. पुलिस नियंत्रण कक्ष (PCR) वैन और किसी पुलिस वाहन में अनुमति दी गई कर्मियों की संख्या का निर्धारण किया जाए और भौतिक दूरी की ज़रूरत का पालन किया जाए
   c. मोटर साइकिल/दोपहिया वाहनों पर केवल एक कर्मी की सवारी की अनुमति दी जाए और इसे सख्ती से लागू किया जाए
3. सभी कार्यालयों, पुलिस थानों, सीमा चौकियों, चौकियों, पुलिस नियंत्रण कक्ष वैन और सभी पुलिस वाहनों को रोज़ कीटाणुरहित किया जाए
4. सभी प्रशासनिक इकाइयों में निम्नलिखित को जारी करना सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय किए जाएं:
   a. स्वच्छ बहते पानी और हाथ धुलने की कारगर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं
   b. प्रत्येक इकाई के लिए हैंड सेनिटाइज़र की पर्याप्त आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाए
5. सभी पुलिस थानों/लॉकअप में निम्नलिखित को क्रियाशील किया जाए:
   a. पुरूषों और महिलाओं के लिए पुलिस लॉकअप को रोज़ कीटाणुरहित और पूरी तरह साफ किया जाए
   b. सभी इकाइयों में पुलिस कर्मियों और लॉकअप में व्यक्तियों के लिए स्वच्छता के उच्च मानकों को बनाए रखा जाए
   c. सुनिश्चित किया जाए कि पुलिस लॉकअप में हर समय हर एक व्यक्ति के बीच 3 फीट की दूरी रखी जा सकती है जिसमें रात में सोना भी शामिल है (भाग V के मार्गदर्शन के साथ संहित)
   d. पुलिस लॉकअप में प्रत्येक व्यक्ति को लगातार साबुन की अलग टिकियां उपलब्ध कराई जाएं और इसकी गारंटी दी जाए और प्रत्येक व्यक्ति को बारबार अपने हाथ धुलने या सेनिटाइज़ करने के निर्देश दिए जाएं

[6]विश्व स्वस्थ संगठन के दिशा निर्देशों के अनुसार:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019

e. जहां बहते हुए पानी तक पहुंच सीमित है वहां हैंड सेनिटाइज़र उपलब्ध कराए जाएं
f. लॉकअप में प्रत्येक व्यक्ति को कपड़े का मास्क/ रुमाल/ गमछा/ टिशू पेपर उपलब्ध कराए जाएं ताकि जितना संभव हो वे अपने मुंह ढक सकें
g. प्रत्येक पुलिस थाने पर स्टेशन हाउस अफसरों और चुनिंदा पुलिस कर्मियों को लॉकअप में मौजूद प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य की सतर्क निगरानी रखने का निर्देश दिया जाए। किसी को छींक, खांसी, बुखार या सांस लेने में कष्ट पर तत्काल निकटतम चिकित्सीय सुविधा पर जांच के लिए भेजा जाना चाहिए
h. सुनिश्चित किया जाए कि अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 54 के अनुसार गिरफ्तारी के तुरंत बाद गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति की चिकित्सीय जांच कराई जाए; अगर हिरासत में रखा गया तो हर 48 घंटे में उसकी अनिवार्य रूप से चिकित्सीय जांच काराई जाए [डी०के० बसु बनाम पश्चिम बंगाल मामले के दिशा निर्देश पर आधारित]

6. क्षेत्र स्तर के कर्मियों को निम्नलिखित सुरक्षा उपाय का पालन करने के निर्देश दिए जाए:
   a. सड़क पर किसी भी व्यक्ति से शारीरिक सम्पर्क से बचा जाए
   b. जनता से बातचीत करते समय जहां तक संभव हो 3 से 6 फीट की दूरी बनाए रखी जाए
   c. अलग तौलिया/ रुमाल का इस्तेमाल किया जाए और साझा करने से बचा जाए
7. हाथ और चेहरा धुलने, नहाने और कपड़े बदलने और पुलिस वर्दी को रोज धुलने पर बल देने के साथ ही पुलिस कर्मी के घर लौटने के तुरंत बाद पालन करने के लिए स्पष्ट प्रोटोकाल निर्धारित किए जाएं
8. उपाय करना सुनिश्चित किया जाए कि सभी पुलिस कर्मी खासकर जो क्षेत्र में हैं उनके सार्वजनिक स्थानों पर लगातार मौजूद रहने के कारण वायरस के लिए नियमित जांच की जा सके। यदि किसी में भी लक्षण दिखाई दें तो तत्काल उसे ड्यूटी से हटा दिया जाए और चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए
9. कर्मियों में वायरस के प्रसार की स्थिति में पुलिस के कर्तव्यों को पूरा करने और बीमार पड़ जाने वालों को सहायता प्रदान करने के लिए आकस्मिक योजना तैयार की जाए। योजना में अवश्य होना चाहिए:
   a. मौजूद और उपलब्ध संख्या बल के प्रबंधन के लिए तैनाती योजना बनाए
   b. अधीनस्थ स्तर वाले पदों, खासकर सिपाहियों को भुगतान की गारंटी और स्वस्थ होने के लिए पर्याप्त छुट्टी दी जाए
   c. उपचार की लागत को सभी श्रेणी के अधिकारियों को उपलब्ध वर्तमान चिकित्सीय बीमा के भाग के तौर पर कवर किया जाए
   d. जहां आवश्यक हो कर्मियों के परिवारों को सहायता प्रदान की जाए जिसमें आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति शामिल है
10. हर पुलिस कार्यालय और पुलिस थाने के बाहर स्थानीय भाषा में दूरी और स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश वाले पोस्टर प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएं
11. वायरस लक्षणों और/या पॉज़िटिव मामलों की सभी रिपोर्टों को प्राप्त करने और उनकी निगरानी करने के लिए पुलिस मुख्यालय पर किसी वरिष्ठ अधिकारी को नोडल बिंदु के तौर पर नामित किया जाए। पुलिस कर्मियों या हिरासत में

व्यक्तियों में वायरस के लक्षण पाए जाने पर रिपोर्ट की एक प्रति सूचनार्थ नोडल अधिकारी के साथ ही तत्काल रूप से आसन्न पर्यवेक्षकों को भेजने के लिए कहा जाए

II. न्युनतम बल प्रयोग किया जाए

जनता के प्रतिदिन के जीवन पर कई तरह की अभूतपूर्व पाबंदियों के बीच लॉकडाउन को लागू करने के उपाय के बतौर पुलिस द्वारा बल प्रयोग को रोक दिया जाना चाहिए[7]। अहिंसक उपाय खोजे और लागू किए जाने चाहिए।

12. सभी विभागों में ऐसे परिपत्र[8] जारी किए जाएं और उनको सख्ती से लागू किया जाए जो सड़कों पर पाए जाने वाले व्यक्तियों पर ताकत के इस्तेमाल से रोकता है और ऐसी स्थितियों के समाधान के लिए केवल अहिंसक तरीकों के प्रयोग के लिए निर्देशित करता हो। परिपत्र में कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा बल और अग्नि अस्त्र प्रयोग के संयुक्त राष्ट्र के आधारभूत सिद्धांत 8 को दोहराया जाए : इन बुनियादी सिद्धान्तों से किसी तरह के विचलन को तर्क संगत बनाने के लिए असाधारण परिस्थितियां जैसे आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता या कोई अन्य सार्वजनिक आपातकाल नहीं लगाया जा सकता।
13. लोगों के कारणों को समझने या सड़कों पर होने की उनकी मजबूरियों को पहचानने और आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए क्षेत्र स्तर के कर्मियों को प्रभावी बातचीत और संवाद के कौशल से सुसज्जित और लैस किया जाए।
14. कर्मियों को निम्नलिखित काम करने से स्पष्ट रूप से रोक दिया जाए, इन कार्यवाहियों को उचित दंड के साथ गंभीर पुलिस कदाचार के तौर पर वर्गीकृत किया जाए:
    a. लॉकडाउन के कथित उल्लंघन के लिए किसी को पीटना या पीटने की धमकी देना
    b. लॉकडाउन के कथित उल्लंघन के लिए लोगों को लुढ़काने, घिसटने, उकड़ू बैठने, उठक–बैठक करने पर मजबूर करना या सार्वजनिक सज़ा जैसा अपमान जनक दंड देना
15. बल प्रयोग की केवल वहीं अनुमति दी जाए जहां जीवन या सम्पत्ति को खतरा हो, ऐसे बल प्रयोग को कम से कम स्तर पर रखा जाए और नुकसान या चोट पहुंचने से बचाने के लिए सभी प्रकार के उपाय किए जाएं। यदि किसी घटना में न्यूनतम बल प्रयोग किया गया है तो पर्यवेक्षक अधिकारी को उसकी रिपोर्ट देना आवश्यक बनाया जाए
16. क्षेत्र स्तर के अधिकारियों की पर्यवेक्षक अधिकारियों के साथ, ज़रूरत पड़ने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, परिभाषित परिस्थितियों के अलावा बल प्रयोग के निषेध पर नियमित अनुकूलन की व्यवस्था की जाए।

---

[7]केरल हाई कोर्ट के एक जज जस्टिस देवनरामाचंद्रन ने केरल पुलिस डीजीपी से आग्रह करते हुए पत्र लिखा कि कथित उल्लंघनकारियों के खिलाफ उस समय तक बल प्रयोग न करने के लिए केरल के पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया जाए जब तक कि "बल प्रयोग करना बिल्कुल आवश्यक न हो जाए और तब भी उसी हद तक जितना आवश्यक हो"। 28 मार्च 2020 के Live Law की रिपोर्ट के अनुसार

[8]बल प्रयोग नहीं पर मार्ग दर्शन दोहराया जाए जैसा कि प्लान के परिपत्र में है और परिपत्र को अंत में इससे जोड़ दिया जाए।

III. आवश्यक सेवओं तक पहुंच और सेवा प्रदाताओं से पूर्ण सहयोग सुनिश्चित किया जाए

पुलिस जनता और आवश्यक सेवाओं के बीच महत्वपूर्ण सम्पर्क कड़ी है।यह न केवल आवश्यक सेवाओं के सुचारू संचालन और वितरण को सुनिश्चित करता है बल्कि यह जीवन बचा सकता है। यह पुलिस की भूमिका का महत्वपूर्ण भाग है और इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

17. प्रत्येक निर्दिष्ट सेवा प्रदाता के निर्बाध, सामयिक और सुरक्षित आवागमन की सुविधा के लिए और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच हेतु जनता के आवागमन के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए क्षेत्र स्तर के अधिकारियों को निर्देशित, उन्मुख और लैस किया जाए, जिसमें शामिल हैं:

a. अवरोधकों और रोड/गेट बंद होने को ध्यान में रखते हुए डिलिवरी करने वाले को वितरण केंद्र तक पहुंचने के लिए लघुतम मार्ग का पता बताना
b. निकटतम किराना की दुकान, दवा की दुकान, एटीएम, अस्पताल, राशन की दुकान, प्राथमिक स्वास्थ सेवा केंद्र और अन्य आवश्यक सेवाओं के बारे में सही जानकारी देकर लोगों की मदद करना
c. चिकित्सीय सहायता की ज़रूरत वाले किसी व्यक्ति की सहायता करना या निकटतम अस्पताल तक पहुंचने के लिए हस्तक्षेप करना
d. आवश्यक वस्तुओं तक पहुंच के लिए नागरिक समाज संगठनों और गैर सरकारी संगठनों से सहयोग करना, खासकर कमज़ोर व्यक्तियों और/या समुदायों, विशेष रूप से विकलांग/शारीरिक या मानसिक रूप से चुनौती बने व्यक्तियों और समूहों, वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों के लिए

18. यह सुनिश्चित किया जाए कि हर श्रेणी के पुलिस कर्मियों, खासकर क्षेत्र स्तर के अधिकारियों, को सरकार और विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार उनके राज्य में प्रत्येक नामित आवश्यक सेवा प्रदाता के बारे में पूरा ज्ञान और जानकारी है।
19. आवश्यक सेवा प्रदाताओं की सूची के साथ सभी आवश्यक साधनों जैसे कर्मियों के अधिकारिक मोबाइल और व्हाट्स एप नम्बरों को विभागीय आदेश के साथ प्रसारित किया जाए, इस तरह सुनिश्चित किया जाए कि सभी बीट सिपाही, पेट्रोल ड्यूटी पर तैनात प्रत्येक अधिकारी और कानून व्यवस्था की ड्यूटी पर मौजूद प्रत्येक अधिकारी के पास आसान पहुंच के साथ सड़क पर ड्यूटी के समय सूची मौजूद हो
20. सुनिश्चित किया जाए कि सभी श्रेणी के पुलिस कर्मियों खासकर क्षेत्र स्तर के अधिकारियों को निर्दिष्ट दस्तावेज़ों या पहचान के प्रमाण का पूरा ज्ञान और जानकारी हो जिसे आवश्यक सेवा प्रदाताओं को अपने पास रखना और पुलिस को दिखाना पड़ता है।
21. आवश्यक सेवा प्रदाताओं या जनता के लोगों के लिए अगर किसी "मूवमेंट पास" की ज़रूरत है तो उसकी प्रक्रिया, शर्तों और दस्तावेजों के बारे में जनता तक पहुंच वाले चैनलों (जिसमें क्षेत्रीय, स्थानीय और राष्ट्रीय, दोनों सार्वजनिक और निजी, प्रसारण एजेंसियां शामिल हैं) को उनकी स्पष्ट जानकारी को सक्रिय रूप से प्रचारित किया जाए

22. सुनिश्चित किया जाए कि मूवमेंट पास के जारी होने की प्रक्रिया तेज और समझने में आसान हो और किसी प्रकार के भौतिक सत्यापन की आवश्यकता न हो। सबकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया न केवल ऑनलाइन माध्यम से पूरी की जाए बल्कि संदेश (Text message)या व्हाट्स एप के माध्यम से भी की जाए।
23. सदैव सुनिश्चित किया जाए कि सेवाओं तक पहुंच हासिल करने वाले सभी लोग खाद्य सामग्री/किराना की दुकान या राशन की दुकान के बाहर जब प्रतीक्षा कर रहे हों तो भौतिक दूरी की आवश्यकता का पालन करें।

IV. "रोकना, सत्यापित और सहायता करना" प्रोटोकॉल

सड़क पर पाए जाने वाले लोगों के लिए साधारण, व्यवहारिक, आसानी से लागू किया जा सकने वाला प्रोटोकॉल, पूछे जाने वाले सवालों और संभावित जवाब के रूप में, पुलिस के नियंत्रित करने और सहायता करने के काम को सुचारू बना देगा।

24. 'रोकना, सत्यापित और सहायता करना' प्रोटोकॉल विकसित किया जाए जो पुलिस कर्मियों के लिए सड़कों पर पाए जाने वाले लोगों के रोकने और बात करने के लिए चरण बद्ध तरीके से प्रक्रियाएं निर्धारित की जाएं। प्रोटोकॉल इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए कि क्षेत्र स्तर के अधिकारियों का जनता से बातचीत में मार्गदर्शन करे। सहकारिता और सहायता को सुगम बनाने पर बल दिया जाना चाहिए। कम से कम इसमें शामिल होना चाहिए:
    a. किसी व्यक्ति के बाहर होने के कारणों को समझ ने के लिए बुनियादी सवाल करना और उनके अनुसार जवाब देना, सवाल यह पता लगाने तक सीमित होने चाहिए कि व्यक्ति कहां जा रहा है और वहां जाने का कारण क्या है और आक्रामक नहीं होना चाहिए
    b. किसी व्यक्ति के आवश्यक सेवाओं तक पहुंच बनाने में पुलिस कई तरह से सहायता कर सकती है जिसमें हेल्पलाइन के लिए निर्दिष्ट करना शामिल है
    c. लॉकडाउन की शर्तों के वास्तविक उल्लंघनों की पहचान करने के उद्देश्य और स्पष्ट मानदंड और पुलिस की संतुलित प्रतिक्रिया को संभव बनाना

V. गिरफ्तारी और हिरासत[9] को सीमित किया जाए

अनावश्यक हिरासत को रोकने के लिए यह आग्रह किया जाता है कि लॉकडाउन के कथित उल्लंघनों के लिए कोई गिरफ्तारी या हिरासत न हो। संकटपूर्ण आवश्यकता के अनुरूप सुनिश्चित करना कि लोगों और पुलिस कर्मियों को हिरासत

[9]केरल उच्च न्यायालय में स्वतः संज्ञान याचिका– कोविड 19 (W.P (C) 2020 का संख्या 9400) कहता है कि लॉकडाउन के कारण अदालतों तक पहुंच न होने के कारण "अपरिहार्य" मामलों के अलावा कोई गिरफ्तारी न की जाए और गंभीर/जघन्य अपराधों के मामले में विवेक का प्रयोग किया जाए
http://highcourtofkerala.nic.in/downloads/COVID_19_wpc9400_2020_orderdtd25032020.pdf

में अति निकट होने के कारण वायरस के सम्पर्क के खतरे में न रखा जाए, जहां तक संभव हो पुलिस को सभी गिरफ्तारियों और हिरासत पर रोक लगा देना चाहिए।

25. पुलिस हिरासत में सीमित स्थानों में रखे गए लोगों और स्वंय पुलिस कर्मियों के कोरोना वायरस के सम्पर्क में आने और फैलाने के गंभीर खतरों और सभी आवश्क सुरक्षात्मक उपाय करने की आकस्मिक जरूरतों को समझा जाए
26. सुनिश्चित किया जाए कि पुलिस कर्मियों को जानकारी है कि लॉकडाउन की शर्तों का उल्लंघन करने पर आमतौर से लागू होने वाले कानूनी प्रावधान ज़मानती हैं[10]।
27. सुनिश्चित किया जाए कि पुलिस कर्मी के पास किसी ऐसे कानूनी प्रावधान के उल्लंघन में किसी व्यक्ति पर संदेह करने के लिए प्रथम दृष्टिया प्रमाण आधारित कारण हैं।
28. संदिग्ध उल्लंघनकारियों की सभी मामलों में गिरफ्तारी करने से दूर रहने का सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया जाए; इसके बजाए उन्हें क्षमा करना/ चेतावनी देना/ जुर्माना लगाना चाहिए
29. स्टेशन हाउस अधिकारियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका कानूनी सेवा समिति (जो लागू होता हो) को उसके थाने से जुड़े कानूनी सहायता अधिवक्ता की पहचान करने के लिए समन्वय बनाने का निर्देश दिया जाए और कानूनी सहायता वकीलों के नाम और सम्पर्क विवरण प्रत्येक थाने के बाहर प्रदर्शित किए जाएं।

लोगों को पुलिस हिरासत में लेना कम किया जाए

30. अपराध के उन सभी मामलों में सार्विक नियम लागू किया जाए जिनकी सज़ा 7 साल तक है, गिरफ्तारी करने वाले अधिकारियों को, अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 41 और 41A के प्रावधानों के अनुसार कारणों को लिखित में रिकॉर्ड कर, गिरफ्तारी न करने के लिए निर्देशित किया जाए
31. 7 साल से अधिक सज़ा वाले अपराधों के मामलों में भी गिरफ्तारी करने से बचा जाए जब तक कि ऐसे मामले न हों जहां अपराध प्रक्रिया संहिता में दी गई शर्तों के अनुसार गिरफ्तारी करना बिल्कुल ज़रूरी है। किसी भी गिरफ्तारी के मामले में संविधान और अपराध प्रक्रिया संहिता में गिरफ्तारी के लिए निर्धारित सभी प्रक्रियाओं और अधिकारों का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए।
32. पुलिस कर्मियों को कोरोना वायरस महामारी के दौरान किसी भी निवारक गिरफ्तारी करने से रोक दिया जाए
33. ज़मानत पर पुलिस लॉकअप से रिहाई के सभी मामलों में व्यक्तियों को बाहर निकालने के लिए न्यायालय से निर्देश प्राप्त किए जाएं

[10]उदाहरण के लिए भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188, 269, 270, 271; महामारी अधिनियम 1897 (धारा 2 और 3) और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (धारा 51 से 60)

VI. पुलिस दुर्व्यवहार का हिसाब दिया जाए

1. *लॉकडाउन प्रबंधन को नियंत्रित करने वाली स्थापित प्रक्रियाओं और सिद्धान्तों से चूकना , दुरुप्रयोग करने और/या उल्लंघन करते पाए जाने पर, जिसमें बल प्रयोग, गिरफ्तारी, हिरासत और जनता एंव आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था करना शामिल है, पुलिस कर्मी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।*

34. लॉकडाउन लागू करते समय हर स्तर पर निर्धारित प्रक्रियाओं और मानवधिकार मानकों का सख्ती से पालन करने पर बल दिया जाए
35. प्रत्येक पुलिस कार्रवाई पर खासकर 'रोकना, सत्यापित और सहायता करना' प्रोटोकॉल को सड़को पर लागू करने के प्रभारी अधिकारियों की तरफ से की गई कार्रवाई में स्पष्ट प्रतिवेदन प्रक्रियाओं का पालन किया जाए ताकि समीक्षा की गुंजाइश हो और अधिकारियों को उनकी कार्रवाइयों के लिए जवाबदेह बनाना सुनिश्चित किया जाए।
36. सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी कथित दुर्व्यवहार या अपराधिकता के लिए पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जनता आसानी से शिकायत दर्ज करवा पाए, मिसाल के तौर पर अच्छी तरह से प्रचारित नम्बरों वाली समर्पित हेल्पलाइन के माध्यम से। पर्यवेक्षक अधिकारी के लिए प्राप्त होने वाली हर शिकायत को स्वीकार करना और जवाब देना, जिसमें की गई कार्रवाई का स्पष्ट विवरण दिया गया हो, अनिवार्य बनाया जाए
37. किसी भी पुलिस अधिकारी के खिलाफ, चाहे वह किसी भी पद पर हो, कठोर विभागीय या अपराधिक कार्रवाई की जाए जो:
    a. कोई ऐसा कार्य करता है जो आवश्यक सेवा प्रदाता को उसके कर्तव्य के निर्वाह में बाधक बनता हो, रोकता हो या सीमित करता है
    b. आवश्यक सेवा प्रदाता को चोट या नुकसान पहुंचाता है
    c. किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के खिलाफ ताकत का मनमाना या अपमानजनक उपयोग करता है
    d. किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को अनावश्यक या गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तार करता है या हिरासत में लेता है, अगर इन दिशा निर्देशों की शर्तों के अनुरूप अभियोजन की मांग की जाती है, और अगर पुलिस कर्मी को हिरासत में नहीं लिया जा सकता है, उन्हें ड्युटी से तुरंत निलंबित किया जाए और जितनी जल्दी संभव हो कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाए।

VII. कमज़ोर समूहों संरक्षण दिया जाए

सहायता और सेवाओं तक पहुंचने के लिए कुछ कमज़ोर समूहों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जो लॉकडाउन अवधि में और बढ़ जाएंगी। ऐसे लोगों और समूहों की पहचान महत्वपूर्ण है जिनके सामने आवागमन और मेलजोल पर पाबंदियों से नुकसान पहुंचने और/या और अधिक हाशिए पर चले जाने का जोखिम है।

38. महिलाओं, बच्चों, बीमारों, वरिष्ठ नागरिकों, विकलांगों की विशिष्ट ज़रूरतों और कमज़ोरियों को सम्बोधित करने के लिए विशेष उपाय करना और योजनाएं बनाना; या अन्य समूह जो खासतौर से आवागमन और सामाजिक मेलजोल पर पाबंदियों से बाधित हो जाएंगे, इसमें शामिल हैं:
    a. उनके आवासों तक राशन या दवा पहुंचाने में सहायता करना
    b. किसी ज़रूरतमंद को अस्पताल, बैंक, राशन की दुकान या खाद्य सामग्री की दुकान या किसी अन्य आवश्यक सेवा तक सुरक्षित पहुंचाना
    c. बीमारों, वरिष्ठ नागरिकों और खासकर विकलांगों या किसी ज़रूरतमंद की चिकित्सीय या सहायक सेवाएं जारी रखने में मदद करना
    d. जहां कहीं संभव हो, ज़रूरतमंद का पता लगाने के लिए लगातार फोन कॉल करना
39. बेघरों, प्रवासी मज़दूरों, यौन कर्मियों, विपरीत लिंगियों, अल्पसंख्यक समूह के सदस्यों, असुरक्षित घरों में महिलाओं और बच्चों और पूर्वोत्तर के घृणा अपराधों के प्रति अतिसंवेदनशील समुदायों समेत कमज़ोर समूहों द्वारा सामना की जाने वाली विशिष्ट कठिनाइयों और सुरक्षा चिंताओं को समझना। आरंभ में यह किया जा सकता है:
    a. विशिष्ट सहायक सेवाएं प्रदान करना या किसी ज़रूरत मंद के लिए रणनीति तैयार करना
    b. नागरिक समाज संगठनों और अन्य सम्बंधित हितधारकों से किसी भी ज़रूरतमंद के लिए प्रभावी रूप से निर्दिष्ट करने हेतु भंडार/कोष का निर्माण करना
    c. किसी को पुलिस की मौजूदगी और प्रतिक्रिया की आवश्यकता हो तो उसको आश्वस्त करना
40. थाना और जिला स्तर पर समुदाय में मौजूद अल्पसंख्यक समूह के सदस्यों से उनकी ज़रूरतों और शिकायतों को जानने और समझने के लिए बात करने हेतु विशेष और विशिष्ट उपाय किए जाएं, उन्हें आश्वासन दिया जाए, सुझाव मांगे जाएं और इसी आधार पर पुलिस प्रतिक्रिया की रूप रेखा तैयार की जाए

VIII. भेदभाव न करें और सभी के लिए सुलभ रहें

पुलिस को अपनी प्रतिक्रिया में अवश्य ही निष्पक्ष होना चाहिए और भेदभाव के किसी उदाहरण की निगरानी और उससे निपटने के लिए सतर्क रहना चाहिए

41. सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए जैसा कि कानून और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में गारंटी की गई है। पुलिस के सभी कर्तव्य निष्पक्ष तरीके से धर्म, नस्ल/जातीयता, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव न किया जाए जैसा कि संविधान द्वारा गारंटी की गई है
42. सतर्क रहें और किसी नस्लीय, धार्मिक, जाति आधारित या किसी पहचान आधारित रूढ़िवादिता, समुदाय के अंदर भेदभावपूर्ण बयानों या कार्यवाहियों; या पुलिस कर्मियों द्वारा; इन दिशा निर्देशों की शर्तों के अनुपालन में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए

43. इन दिशा निर्देशों की शर्तों के एतबार से अनुपालन में किसी पुलिस द्वारा भेदभावपूर्ण और/या असंवेदनशील कार्रवाई या व्यवहार की तेज़ी से जांच की जाए
44. क्षेत्र स्तर के कर्मियों को प्रोत्साहित किया जाए जो पुलिस के काम में समुदाय के विश्वास निर्माण के लिए विशेष उपाय करते हैं और योजना की रूपरेखा तैयार करते हैं

IX. स्पष्ट संवाद किया जाए और सहज उपलिब्धता सुनिश्चित हो

लॉकडाउन की पूरी अवधि के दौरान पुलिस के अंदर सभी श्रेणियों में और जनता के साथ लॉकडाउन प्रबंधन योजना, प्रगति, उठाए जाने वाले कदम और पुलिस नेतृत्व द्वारा दिए आश्वासनों पर सुसंगत और ठोस संवाद होना चाहिए

विभाग के भीतर

45. केंद्र/राज्य के विशिष्ट दिशा निर्देशों और योजनाओं समेत लॉकडाउन की स्थितियों पर सम्बंधित जानकारी को आसानी से समझ में आने वाले फॉरमैट और भाषा में सभी पर्यवेक्षी अधिकारियों के पास होना सुनिश्चित किया जाए जिसमें स्टेशन हाउस अधिकारी, जिला पुलिस प्रमुख, क्षेत्र प्रभारी अधिकारी, मंडल प्रभारी अधिकारी, सभी विभागों/इकाइयों के प्रमुख और अन्य पर्यवेक्षी अधिकारी शामिल हैं।
46. जहां तक संभव हो थाना, जिला, क्षेत्र और मुख्यालय से सर्व साधारण को नवीनतम जानकारी दी जाए और लॉकडाउन के संचालन से सम्बंधित समीक्षा चिंताओं को हर स्तर पर साझा करने के लिए वीडियो या कान्फ्रेंस कॉल के माध्यम से सभी स्तरों पर दैनिक विवरण दिया जाए जिसमें आवश्यक विशिष्ट कार्रवाई शामिल हो
47. सुनिश्चित किया जाए कि दैनिक विवरण में पुलिस कर्मियों द्वारा लिए जाने वाले सम्बद्ध और उचित एहतियाती उपायों के बारे में लगातार दोहराया जाता रहे।
48. इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि क्षेत्र में भ्रमण करने और जनता के सम्पर्क में रहने वाले बीट/पेट्रोल अधिकारी लॉकडाउन योजना के बारे में अच्छी तरह वाकिफ हैं और किए जाने वाले उपायों के बारे में स्पष्ट जानकारी रखते हैं।
49. नियमित अंतराल पर योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाए

जनता के साथ

50. लॉकडाउन के दौरान वीडियो और सोशल मीडिया के माध्यम से, खासकर ट्वीटर पर, जनता को पुलिस की मौजूदगी और सहयोग के बारे में नियमित रूप से आश्वस्त किया जाता रहे और रेडियो के माध्यम से अधिकतम लोगों तक पहुंचना सुनिश्चित की जाए
51. लॉकडाउन के पालन में जनता की ज़िम्मेदारियों को आसानी से समझ में आने वाली सूचना जिसमें लगाई गई पाबंदी, वास्तविक उल्लंघनों और उनके दंड, जिन कार्यों की सुविधा दी जा सकती है और उपलब्ध आवश्यक सेवाओं के बारे में हर स्तर पर विभिन्न माध्यमों से सक्रियता के साथ प्रसारित किया जाए जिसमें पुलिस/सरकार की वेबसाइट, प्रेस,

टेलीवीज़न, समाचार चैनेल, रेडियो, ऑनलाइन पोर्टल्स, फ्लायर्स, प्रदर्शन बोर्ड/सार्वजनिक स्थलों के निकट जिनको खुले रहने की अनुमति होती है, लाउडस्पीकर के माध्यम से रिहायशी कॉलोनियों में सूचना देना, सोशल मीडिया और अन्य उपयुक्त माध्यम शामिल हैं।

52. सूचना सभी लोगों तक पहुंच रही है इसे सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएं जिसमें वह लोग भी शामिल हैं जो पढ़ने की क्षमता बहुत कम रखते है या रखते ही नहीं और वह लोग जिनको खास तरह की ज़रूरतें हैं।

53. कोरोना वायरस संकट और सरकार/पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों से सम्बंधित प्रगति के बारे में नियमित रूप से जनता से नवीनतम जानकारी साझा की जाए।

54. भौतिक दूरी बनाए रखने समेत सभी आवश्यक सुरक्षात्म उपाय करते हुए स्थानीय समुदायों के निवासियों के साथ नियमित सम्पर्क बनाए रखने के लिए बीट अधिकारी द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र की परिवारिक इकाइयों की सप्ताह में एक बार मुलाकात को प्राथमिकता दी जाए। इससे स्थानीय प्रशासन और/या अन्य आवश्यक सेवाओं के साथ समन्वय स्थापित करने समेत पुलिस को समुदायों को पेश आने वाली दिक्कतों के प्रति सचेत रहने और उपयुक्त निवारण सुविधा प्रदान करने में मदद मिलेगी जिसमें स्थानीय प्रशासन या अन्य आवश्यक सेवाओं के साथ समन्य शामिल है।

सीएचआरआई के बारे में

कामनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनीशिएटिव (CHRI) मानवाधिकारों के क्षेत्र में काम करने वाला एक स्वतंत्र, गैर लाभकारी, निष्पक्ष, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। 1987 में,राष्ट्रमंडल के पेशावर संघों ने सीएचआरआई की स्थापना की, हालांकि राष्ट्रमंडल सदस्य देशों को साझा आम कानून का आधार प्रदान करता था लेकिन 53 देशों के संघ के भीतर मानवाधिकारों पर ध्यान बहुत कम था।

अपनी रिपोर्टों और सामयिक जाचों के माध्यम से सीएचआरआई लगातार राष्ट्रमंडल देशों में मानवाधिकारों की प्रगति और असफलताओं पर ध्यान आकर्षित करता रहा है। मानवाधिकार हनन को रोकने हेतु प्रस्तावों और उपायों के लिए वकालत करने में सीएचआरआई राष्ट्रमंडल सचिवालय, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद सदस्यों, मीडिया और नागरिक समाज को सम्बोधित करता है। यह सार्वजनिक शिक्षा कार्यक्रम, नीतिगत बातचीत, तुलनात्मक अनुसंधान, वकालत और सूचना तक पहुंच और न्याय तक पहुंच के मुद्दों पर नेटवर्किंग जैसे मामलों के इर्दगिर्द काम करता है सहयोग देता है।

सीएचआरआई मानवाधिकार के विश्वव्यापी घोषणपत्र, राष्ट्रमंडल हरारे के सिद्धान्तों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अन्य मानवाधिकार प्रपत्रों और मानवाधिकारों का समर्थन करने वाले घरेलू प्रपत्रों के प्रति निष्ठा को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। सीएचआरआई का मुख्यालय नई दिल्ली, भारत और कार्यालय लंदन, यूनाटेड किंग्डम और अक्करा, घाना में हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार आयोग: एलिसन डक्सबरी, अध्यक्ष। सदस्यः वजाहत हबीबुल्लाह, जोना एवर्ट-जेम्स, एडवर्ड मोर्टिमर, सैम ओकुडज़ेटो और संजॅय हज़ारिका

कार्यकारी समिति (भारत): वजाहत हबीबुल्लाह, अध्यक्ष। सदस्यः किशोर भारगव, बी0के0 चंद्रशेखर, जयंतो चैधरी, माजा दारूवाला, नितिन देसाई, कमल कुमार, मदन बी0 लोकुर, पूनम मुतरेजा, जैकब पुन्नूस, विनीता राय, ए0पी0 शाह और संजॅय हजारिका

कार्यकारी समिति (घाना): सैम ओकुडज़ेटो, अध्यक्ष। सदस्यः अकोटो एम्पा, वजाहत हबीबुल्लाह, कोफी क्वाशिगह, जूलिएट तुआकली और संजॅय हज़ारिका

कार्यकारी समिति (यूके): जुआना एवर्ट-जेम्स, अध्यक्ष। सदस्यः रिचर्ड बोर्ने, प्रलब बरुआ, टोनी फोरमैन, नेविले लिंटन, सुज़ेन लैम्बर्ट और संजॅय हज़ारिका

संजॅय हज़ारिका, अंतर्राष्ट्रीय निदेशक© कॉमन वेल्थ ह्यूमन राइट्स इनीशिएटिव 2020
स्रोत को स्वीकार करते हुए इस रिपोर्ट से सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है।

सीएचआरआई मुख्यालय, नई दिल्ली	सीएचआरआई, लंदन	सीएचआरआई अफ्रीका, अक्करा
55ए, तीसरा माला, सिद्धार्थ चैम्बर्स कालू सराय, नई दिल्ली 110016 भारत टेलफोनः +91 11 4318 0217 फैक्सः +91 11 2686 4688 ई-मेलः info@humanrightsinitiative.org	रूम न0 219, स्कूल ऑफ एडवांस्ड स्टडी, साउथ ब्लाक, सिनेट हाउस मालेट स्ट्रीट, लंदन WCIE7HU यूनाइटेड किंग्डम ई-मेल london@humanrightsinitiative.org	डा० स्टैनली मार्बल प्लाज़ा हाउस न0 158/2 असाइलम डाऊन अक्करा घाना टेलीफोन/फैक्सः 233 302 971170 ई-मेलः chriafrica@humanrightsinitiative.org

www.humanrightsinitiative.